फर्द अहकाम
(नियम 26)

68/अ(?) अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनोखसिंह बनाम राज्य
अपील प्रकरण सं. 68 / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
08.10.15	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन व रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 09–10–15 को पेश हो।	
9–10–15	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अमरचन्द अध्यक्ष श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, लखाहाकम की ओर से वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया – नकल अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाई गई। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी अमरचन्द को बतौर रेस्पोडेन्ट सं0 2 पक्षकार प्रत्यायोजित किया जाता है। अपील के शीर्षक में रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम लालस्याही से अंकित किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता ने फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजात पेश किये – शा0 मिसल रहें। स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 5–11–15 को पेश हो। 9/10/15	
5.11.15	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 9.12.15 को पेश हो।	2789 5.11.15 for RL
9.12.15	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु लिखा हुआ है – अप्राप्त। इंतजार रिकार्ड पत्रावली दिनांक 12.01.16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

13.02.17 अभिभावक उभय पक्ष उप०। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06.03.17 को पेश हो।

6.3.17 अभिभावक उभय पक्ष उप०। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 15.3.17 को पेश हो।

15.3.17 अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक ने फार्म नं. 3 के रेस्पो० सं० 2 के Ad. ने फार्म नं० 3 के साथ S.B. civil writ No. 360/16 आदेश दि० 27.1.16 की फोटोप्रति पेश की। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 21.3.17 को पेश हो।

21.3.17 अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3.4.17 को पेश हो।

3.4.17 अभिभावक उभय पक्ष उप०। A.D.M. Sb. मुख्यालय से बाहर हैं। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 7-4-17 को पेश हो।

7-4-17 अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा S.B. civil writ No. 360/16 में पारित आदेश दिनांक 27.1.16 जो मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, में S.D.O. रायसिंहनगर को याचीकर्ता के प्रा० पत्र सं० 4/13 को

68
2015

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
Gen. No. 12

isthan
ffice
ieptt.

OFFICE NOTE

अलॉटमेन्ट रूल्स 1954 के अनुसार निरस्तारण के आदेश दिये हैं तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये हैं। अतः मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 27.1.16 की पालना में हस्तगत अपील में, मा० उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कार्यवाही स्थगित की जाती है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय से निर्णय होने पर की जायेगी। पत्रावली उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 27.1.16 की प्रति उप तहसीलदार, गजसिंहपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]
7.5.17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

.7-2011-2,00,000 F.

Scanned by CamScanner